

# तीन तलाक- बड़ा रिफॉर्म- बेहतरीन रिजल्ट

मुख्तार अब्बास नकवी  
वैसे तो अगस्त, इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के पन्नों से भरपूर है, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 5 अगस्त को 370 खत्म होना, जैसे इतिहास के सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाले दिन हैं।

वहीं 1 अगस्त, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा, कुरीति से मुक्त करने का दिन, भारत के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हो चुका है।

तीन तलाक या तिलाके बिदत जो ना संवैधानिक तौर से ठीक था, ना इस्लाम के नुक्तेनजर से जायज़ था। फिर भी हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न से भरपूर गैर-कानूनी, असंवैधानिक, गैर-इस्लामी कुप्रथा तीन तलाक, वोट बैंक के सौदागरों के सियासी संरक्षण में फलता- फूलता रहा।

1 अगस्त 2019 भारतीय संसद के इतिहास का वह दिन है जिस दिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम तथाकथित सेक्युलरिज़्म के सियासी सूरमाओं के विरोध के बावजूद तीन तलाक कुप्रथा को खत्म करने के विधेयक को कानून बनाया गया। देश की आधी आबादी और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह दिन संवैधानिक-मौलिक-लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों का दिन बन गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का हिस्सा रहेगा।

तीन तलाक कुप्रथा के खिलाफ कानून तो 1986 में भी बन सकता था जब शाहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक

पर बड़ा फैसला लिया था; उस समय लोकसभा में अकेले कांग्रेस सदस्यों की संख्या 545 में से 400 से ज्यादा और राज्यसभा में 245 में से 159 सीटें थी, पर कांग्रेस की राजीव गाँधी की सरकार ने 5 मई 1986 को इस संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने और तीन तलाक क़रूरत-कुप्रथा को ताकत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया।

कांग्रेस ने कुछ दकियानूसी कट्टरपंथियों के कुतर्कों और दबाव के आगे घुटने टेक कर मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का आपराधिक पाप किया था। कांग्रेस के लम्हों की खता, मुस्लिम महिलाओं के लिए दशकों की सजा बन गई। जहाँ कांग्रेस ने सियासी वोटों के उधार की चिंता की थी, वहीं मोदी सरकार ने सामाजिक सुधार की चिंता की।

भारत संविधान से चलता है, किसी शरीयत या धार्मिक कानून या व्यवस्था से नहीं। इससे पहले भी देश में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी कानून बनाये गए। तीन तलाक कानून का किसी मजहब, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, शुद्ध रूप से यह कानून एक कुप्रथा, क़रूरत, सामाजिक बुराई और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए पारित किया गया। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय था। मौखिक रूप से तीन बार तलाक़ कह कर तलाक देना, पत्र, फोन, यहाँ तक की मैसेज, व्हाट्सएप के जरिये तलाक़

दिए जाने के मामले सामने आने लगे थे। जो कि किसी भी संवेदनशील देश-समावेशी सरकार के लिए अस्वीकार्य था।

दुनिया के कई प्रमुख इस्लामी देशों ने बहुत पहले ही तीन तलाक को गैर-कानूनी और गैर-इस्लामी घोषित कर खत्म कर दिया था। मिस्र दुनिया का पहला इस्लामी देश है जिसने 1929 में तीन तलाक को खत्म किया, गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाया। 1929 में सूडान ने तीन तलाक पर प्रतिबन्ध लगाया।

1956 में पाकिस्तान ने, 1972 बांग्लादेश, 1959 में इराक, सीरिया ने 1953 में, मलेशिया ने 1969 में इस पर रोक लगाई। इसके अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रूनेई, मोरक्को, क़तर, यूएई जैसे इस्लामी देशों ने तीन तलाक खत्म किया और कड़े कानूनी प्रावधान बनाये। लेकिन भारत को मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा के अमानवीय जुल्म से आजादी दिलाने में लगभग 70 साल लग गए।

नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। जहाँ कांग्रेस ने अपने संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए किया था, वहीं मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक-मौलिक-लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए फैसला किया।

आज एक वर्ष हो गया है, इस दौरान तीन तलाक या तिलाके बिदत की घटनाओं में 82 प्रतिशत से ज्यादा की कर्मी आई है, जहाँ ऐसी घटना हुई भी है वहाँ कानून ने

अपना काम किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर वर्ग के सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार को समर्पित है। कुछ लोगों का कुतर्क होता है कि मोदी सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के तलाक की ही चिंता क्यों है? उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए कुछ क्यों नहीं करते ? तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इन पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार के समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के प्रयासों का लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी भरपूर हुआ है।

पिछले छह वर्षों में 3 करोड़, 87 लाख अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 60 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। पिछले 6 वर्षों में 'हुर हाट' के माध्यम से लाखों दस्तकारों-शिल्पकारों को रोजगार-रोजगार के मौके मिले जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। सीखों और कमाओं, गरीब नवाज़ स्वरोजगार योजना, उस्ताद, नई मंजिल, नई रौशनी आदि रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से पिछले 6 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराये गए हैं जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार के अंतरगत 2018 में शुरू की गई बिना मेहरम महिलाओं को हज पर जाने की प्रक्रिया के तहत अब तक बिना मेहरम के हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 3040 हो चुकी है। इस वर्ष भी 2300 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने बिना मेहरम (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, इन महिलाओं को हज

2021 में इसी आवेदन के आधार पर हज यात्रा पर भेजा जायेगा, साथ ही अगले वर्ष भी जो महिलाएं बिना मेहरम हज यात्रा हेतु नया आवेदन करेंगी उन सभी को भी हज यात्रा पर भेजा जायेगा।

यहीं नहीं मोदी सरकार की अन्य सामाजिक सशक्तिकरण योजनाओं का लाभ मुस्लिम महिलाओं को भरपूर हुआ है। यही वजह है कि आज विपक्ष भी यह नहीं कह पाता कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए किये जा रहे कामों में किसी भी वर्ग के साथ भेद-भाव हुआ है, मोदी सरकार के सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टिकरण विकास का नतीजा है कि 2 करोड़ गरीबों को घर दिया तो उसमें 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय हैं, 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया, तो उसमें भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिया तो उसमें 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लाभान्वित हुए। 24 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान ऋण दिए गए हैं जिनमें 36 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। दशकों से अँधेरे में डूबे हजारों गांवों में बिजली पहुंचाई तो इसका बड़ा लाभ अल्पसंख्यकों को हुआ। इन सभी योजनाओं का लाभ बढ़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं को भी हुआ है और वो भी तरक्की के सफल सफर की हमसफर बनी हैं।

(लेखक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार हैं)

## गले में खराश और छाले से हैं परेशान, गरारे से मिलेगा आराम

बदलते मौसम के साथ गले में खराश और खांसी की समस्या होती है, जो थोड़े इलाज करने के बाद सही हो जाती है। लेकिन मुंह से बदबू आना ऐसी समस्या है, जिसके चलते आपको लोगों के बीच बेज्जत होना पड़ता है। गले में खराश, सूखी खांसी, बलगम, मुंह की बदबू से लेकर मसूड़ों में सूजन की परेशानी से निपटने का एक तरीका है और वह है गरारे यानी गार्गल। यह मुंह और दांतों के बीच फंसा खाना निकाल देता है, कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार सकता है और तुरंत सांसों को ताजा कर करता है। गरारे करना मुंह की स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

गरारे करने से गले में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाने वाला एसिड कम होता है। इन्फेक्शन में गरारे करने से संक्रमण की गंभीरता कम होती है और लक्षणों में आराम मिलता है। यूं तो गरारे के ढेरों फायदे हैं, लेकिन इसे अक्सर अनदेखा या गलत तरीके से किया जाता है। सही ढंग से गरारे न करने पर जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता है। इन स्टेप्स को फॉलो कर सही तरीके से इस तरह करें गरारे...

\*गरारे करने के लिए एक अलग गिलास रखें। पानी भरने के लिए कई लोग हमेशा हथेलियों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन गिलास का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है, खासकर यदि गरारे करने

वाले मिश्रण या माउथवॉश से करना चाहते हैं।

\*ठंडा पानी दांतों की संवेदनशीलता का कारण बन सकता है और गर्म पानी मुंह में जलन पैदा कर सकता है। गुनगुना पानी सबसे अच्छा काम करता है। इसमें नमक या अन्य सामग्री मिलाई जा सकती है।

\*यदि गले में खराश या मसूड़े की सूजन है, तो गरारे करने वाले मिश्रण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। यह प्रभावी रूप से मुंह के बैक्टीरिया के विकास को भी रोक सकता है।

\*नमक एक आजमाया हुआ प्राकृतिक कीटाणुनाशक है। गर्म पानी में एक चम्मच नमक भी डाल सकते हैं और इसके साथ गरारे कर सकते हैं। नमक का पानी गले के ऊतक में मौजूद पानी को निकालता है और गले की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है।

\*बेकिंग सोडा खराब सांस और प्लाक बिल्ड-अप के लिए एक और आजमाया हुआ उपाय है। गरारे करने से पहले गुनगुने पानी में एक छोटी चुटकी बेकिंग सोडा डालें। अब मिश्रण तैयार है। इसे धीरे-धीरे तब तक लें जब तक कि मुंह में पर्याप्त तरल न हो जाएं।

\*अब अपने मुंह के एक तरफ से दूसरे हिस्से तक पानी को सावधानी से घुमाएं। याद रखें कि इसे आगे और पीछे भी घुमाएं।

अपने गाल की मांसपेशियों को अंदर और बाहर धकेलें और अपनी जीभ को अपने मुंह के हर कोने में घुमाएं ताकि हर जगह तरल जाए।

\*गले में खराश की स्थिति में अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करें, जब तक कि तरल मुंह, टॉन्सिल और यूवुला (मुंह के पीछे की ओर जीभ पर लटकते ऊतक का मांस का टुकड़ा) न छुए जाएं। अपना मुंह खोलें और एक तेज आवाज करें। कंफन ले कर पीछे पानी के बुलबुले बना देगा, दर्द को शांत करेगा और इसे तरल की एक पतली परत के साथ कोटिंग करेगा।

\*20-30 सेकंड के लिए अपने मुंह में पानी भरने के बाद सावधानी से पानी बाहर थूक दें। यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया को दोहराएं। ब्रश करने और फ्लॉस करने के बाद ताजा सांस और स्वस्थ दांतों के लिए रोजाना थोड़ा गरारा करें।

अस्वीकरण : इस लेख में दी गयी जानकारी कुछ खास स्वास्थ्य स्थितियों और उनके संभावित उपचार के संबंध में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। यह किसी योग्य और लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा, जांच, निदान और इलाज का विकल्प नहीं है। यदि आप, आपका बच्चा या कोई करीबी ऐसी किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहा है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। नवीन शाह।

सू- दोकू क्र.096									
	9		1	6		2			7
3									
		6						9	
7			5		1			3	
	8			9		6			2
		4						7	
	3				2	9			6
6		7	3						4
	4			1		7	8		

  

नियम	सू-दोकू क्र.95का हल									
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।	2	6	3	9	8	7	1	5	4	
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।	8	5	1	3	2	4	6	7	9	
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।	9	4	7	1	5	6	8	2	3	
	3	9	8	6	7	1	5	4	2	
	6	1	2	5	4	3	9	8	7	
	5	7	4	8	9	2	3	1	6	
	1	2	6	7	3	5	4	9	8	
	4	8	5	2	6	9	7	3	1	
	7	3	9	4	1	8	2	6	5	